

जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा की दुकान नं0 21 की बोली के नियम व शर्तें

- 1 बोलीदाता को बोली आरम्भ करने से पहले जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु0 25,000/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट धरोहर के रूप में इस कार्यालय में जमा करवाने होंगे बोली दिनांक 23-08-2021 को प्रातः 11-00 बजे बाल भवन में होगी।
- 2 दुकान की रिफण्डेबल सिक्योरिटी राशि 3,00,000/- तीन लाख रुपये होगी। जो तीन साल बाद दुकानदार को दुकान खाली करने के उपरान्त बिना ब्याज के वापिस दी जावेगी।
- 3 ठेके की न्यूनतम बोली मु0 10,000/-रुपये मासिक लीज से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दुकान अधिकतम बोली देने वाले को दी जावेगी।
- 4 सफल बोलीदाता द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी के बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवाई जावेगी तथा शेष राशि 3 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निश्चित अवधि में राशि जमा करवाने में असफल होने पर बोलीदाता द्वारा कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में जमा करवाई गई राशि मु0 25000/-रुपये जब्त कर ली जाएगी।
- 5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय माननीय उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को स्वीकृति उपरांत ही मान्य होगा। दुकान का कब्जा देने की अन्तिम तिथि से ठेका शुरू होगा।
- 6 सफल बोलीदाता को दुकान का कब्जा लेने से पहले एक लीज डीड सम्पन्न करनी होगी। जिसका समस्त हर्जा-खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
- 7 जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि, समय व स्थान बदलने व रद्द करने का अधिकार होगा।
- 8 किसी भी प्रकार के विवाद में उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 9 दुकान की लील डीड की अवधि 3 वर्ष की होगी। 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वह लीज डीड अपने आप समाप्त हो जाएगी और दुकान का कब्जा वापिस बाल भवन के अधिकारी को सौंप दिया जायेगा। डीड समाप्त होने के बाद नई डीड के लिए नया ठेका दिया जावेगा और नई बोली के लिए दुबारा से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- 10 सफल बोलीदाता को दुकान की मासिक लीज प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत में मु0 10/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त लीज अदा करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर दुकानदार 3 माह तक लीज फीस जमा नहीं करवाता है तो जिला बाल कल्याण परिषद दुकान खाली करवाने की हकदार होगी।
- 11 सफल बोलीदाता की दुकान सहमित पत्र लीज डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थायी रिहायशी प्रमाण-पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय में जमा करवाने अनिवार्य होंगे।

P. Conan
Distt. Child Welfare Officer
SIRSA

- 12 सफल बोलीदाता को अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा यदि कोई भी व्यक्ति इस शर्त की उल्लंघना करता है और किसी अन्य को सबलैट या किसकी अन्य को कब्जा सौंपता है तो जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को उसकी लीज डीड रद्द करने करके दुकान का कब्जा लेने का अधिकार होगा ।
 - 13 सफल बोलीदाता को दुकान मे अपने स्तर पर कोई तोड-फोड, बदलाव, निर्माण व अनैतिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वह कुछ भी इस प्रकार का करना चाहता है तो जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा से पहले ही लिखित में मंजूरी लेनी होगी ।
 - 14 सफल बोलीदाता बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर बिल का स्वयं भुगतान करेगा और लीज डीड के समाप्त होने के पश्चात बिजली बिल पूर्ण रूप से भरकर No dues का सर्टीफिकेट जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को सौपेगा अन्यथा उसकी सिक्योरिटी राशि रोक ली जावेगी ।
 - 15 सफल बोलीदाता सहमति/अनुमति पत्र लीज डीड की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात दुकान को सही हालत मे जिला बाल कल्याण परिषद को सुपुर्द करवायेगा।
 - 16 सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा सभी बिलो का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।
 - 17 सफल बोलीदाता को केवल दुकान के ग्रांडड फ्लोर प्रयोग करने का अधिकार होगा । दुकान की छत व बरामदे को इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने मे स्वतंत्र होगी। इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर लाईसैंसी इन पर encroachment करता है तो बेदखली का हकदार होगा
 - 18 बोली शुरू होने से पहले तक कोई भी बोलीदाता नकद राशि 25000/-पच्चीस हजार रुपये धरोहर के रूप मे देकर बोली दे सकता है ।
 - 19 यह कि द्वितीय पक्ष जिस फर्म के नाम से दुकान लेगा उस फर्म का पंजीकृत प्रमाण पत्र भागिता विलेख प्रथम पक्ष को दुकान की बोली में भाग लेते समय या दुकान में प्रवेश से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । द्वितीयपक्ष की सारे कागजो की तसदीक कार्यालय द्वारा पूर्ण होने के बाद ही उसके साथ लीज डीड बनाई जावेगी
- बाकी शर्तें संक्षिप्त रूप से लीज डीड में लिखि जावेगी ।


Distt. Child Welfare Officer
SIRSA